भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2243

जिसका उत्तर 02 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

पीएमजेडी योजना

2243. श्री भर्तृहरि महताव:

श्री के. सुधाकरन:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री उत्तम कुमार रेड्डी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में प्रधानमंत्री जन धन (पीएजेडी) योजना को लागू करने के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी लिंग-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं और मई 2014 से नवंबर 2019 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने खाते खोले गए, एटीएम स्थापित किये गए और एटीएम कार्ड जारी किए गए हैं और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें अनियमितताओं की कोई शिकायत मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस तरह की शिकायतों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए उनके पूर्व वित्तीय समावेशन योजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ड.) आज तक उक्त योजना के तहत दुर्घटना बीमा कवर के अंतर्गत बीमा धनराशि का लाभ प्राप्त करने वाले खाताधारकों की राज्य/संघ राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाये जा रहें हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (च): वर्ष 2014 में आरंभ की गई प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन जैसी बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौम पहुंच की परिकल्पना की गई है।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्राप्त लाभों को समेकित करने तथा सरकार द्वारा की जा रही वित्तीय समावेशन पहल को बढ़ावा देने के लिए खाता खोलने हेतु "प्रत्येक परिवार" के स्थान पर "प्रत्येक बैंकरहित वयस्क" पर जोर देते हुए और निम्नलिखित संशोधनों के साथ योजना को और अधिक आकर्षक बनाकर पीएमजेडीवाई कार्यक्रम को दिनांक 14.08.2018 से आगे बढ़ाया गया है:-

(i) मौजूदा ओडी सीमा को 5,000 रुपए से संशोधित करके 10,000 रुपए किया गया।

(ii) 2,000 रुपए तक की ओडी प्राप्त करने के लिए सक्रिय पीएमजेडीवाई खातों के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई।

(iii) ओडी सुविधा प्राप्त करने के लिए आयु सीमा को 18-60 वर्ष से संशोधित करके 18-65 वर्ष कर दिया गया।

(iv) दिनांक 28.08.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के नए रूपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया।

बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 13.11.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई के तहत उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

- 37.47 करोड़ जन-धन खाते खोले गए है जिसमें लगभग 1,06,939.35 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है।
- जन-धन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 53% (19.97 करोड़) है, जबकि 59% (21.99 करोड़) जन-धन खाते ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए है।
- पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 29.69 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुरूप, दिनांक 30.6.2014 और दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार, व्हाइट लेबल एटीएम के सहित बैंकों द्वारा लगाए गए एटीएम की संख्या निम्नानुसार है :

क्षेत्र	व्हाइट लेबल एटीएम सहित बैंकों द्वारा लगाए गए एटीएम		एटीएम की संख्या में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
	30.6.2014 की स्थिति के अनुसार	30.9.2019 की स्थिति के अनुसार	
ग्रामीण और अद्धशहरी केन्द्र	71,814	1,08,356	50.9
शहरी और महानगरीय केन्द्र	97,691	1,19,530	22.4
कुल	1,69,505	2,27,886	34.4

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने सूचित किया है कि मई 2014 तथा सितम्बर 2019 में आउॅट-स्टैंडिंग डेबिट कोर्डो की संख्या क्रमश: 40.17 करोड़ और 83.55 करोड़ थी।

"बैंकों में ग्राहक सेवा" पर आरबीआई के दिनांक 1.7.2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों से शिकायत प्राप्त करने और उनके निवारण के लिये उनका एक उचित शिकायत निवारण तंत्र हो, जिसमें ऐसी शिकायतों को उचित रूप और शीघ्र हल करने पर विशेष बल दिया जाता हो, भले ही शिकायतों का स्रोत कुछ भी हो। यदि बैंकों द्वारा शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता तो ग्राहक संबंधित बैंकिंग लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। बैंक से संबंधित शिकायतों के आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। चूंकि पीएमजेडीवाई योजना बैंकों द्वारा चलायी जा रही है इसलिए इस संबंध में जब कभी भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप उसके समाधान हेतु उसे संबंधित बैंक को अग्रेषित कर दिया जाता है।

संबंधित बैंकों द्वारा उनकी बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर वित्तीय समावेशन योजनाओं हेतु लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार दिनांक 22.11.2019 की स्थिति के अनुसार पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जारी रूपे डेबिट कार्ड के साथ उपलब्ध दुर्घटना बीमा कवरेज के तहत पीएमजेडीवाई खाता धारकों को 5,772 दावों का भुगतान कर दिया गया है1 रूपे डेबिट कार्ड से संबंद्ध दुर्घटना बीमा कवर के अंतर्गत भुगतान किये गये दावों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते है।

*****